राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)
☎ 0141-2227177 ✉ pdengg_rdd@yahoo.com Website: rdprd.gov.in

क्रमांक एफ 27(61)/ग्रावि/ग्रुप–5/PMAY-G/मैसन मिस्त्री/15–16 जयपुर, दिनांक 04 जुन 2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत आयोजित मैसन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.08.19, 21.08.19, 24.09.19, 18.11.19 एवं 27.05.19।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा योजना के कियान्वयन के फ्रेमवर्क एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार CSDCI से अनुमोदित संस्थाओं के माध्यम से मैसन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 18.11.19 द्वारा चिन्हित आवासों के लाभार्थियों को दिनांक 30.11.19 तक एक मुश्त राशि हस्तानान्तरण के प्रस्ताव राज्य को प्रेषित कराकर 31.01.2020 तक मैसन प्रशिक्षण पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

योजनान्तर्गत मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी का आवास निर्माण कराया जाता है एवं समूह में एक ग्राम पंचायत में लगभग 5 आवास निर्मित कर 25 मैसन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य में 20596 प्रशिक्षण के लक्ष्य हेतु 4119 आवास निर्माण किये जाने थे जिनका निर्माण पूर्ण हो गया होगा।

उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 के लक्ष्यों विरूद्ध अधिकांश स्वीकृतियां जारी कर प्रथम किश्त हस्तानान्तरित की जा चुकी है एवं एक ही ग्राम पंचायत में बकाया स्वीकृति के 5 आवास मिलने की संभावना नहीं है। उक्त के बावजूद भी जिलों द्वारा एकमुश्त किश्त हस्तानांतरण के प्रस्ताव प्रेषित किए जा रहे है।

उक्त क्रम में प्रस्ताव के साथ स्पष्ट उल्लेख करवाये कि यह प्रस्ताव पूर्ण हो चुके आवास के है या नया प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना है। यदि नया प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना हो तो प्रशिक्षण के दौरान निर्मित होने वाले अन्य आवासों का विवरण भी प्रेषित करें एवं अब तक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करवाये जाने की समीक्षा कर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर नियमानुसार कार्यवाही करवाते हुये किश्त हस्तानांतरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें।

(पी.सी. किशन)
विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. जिला कलक्टर, समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि